## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 756 / 14

संस्थापन दिनांक : 28.08.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## <u>बनाम</u>

1—बजरंग प्रतापसिंह उर्फ अमितसिंह भदौरिया पुत्र भानुप्रतापसिंह भदौरिया उम्र 24 साल निवासी भूरा सिरसा थाना रैडर जिला जालौन उ०प्र0

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

- 1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 337, 338 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग बाराहेड गुरूद्वारा के पास हाईवे रोड एन.एच.—92 लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.टी. 8628 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी मुकेश अ0सा01 की मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—06—एम.एच.2620 में टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.14 को फरियादी मुकेश अ0सा01 अपनी मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—06—एम.एच.2620 से मेहगांव से अपने गांव परीक्षा को जा रहा था मोटरसाइकिल पर पीछे जमील अ0सा02 व इरशाद खां अ0सा03 बैठे थे जैसे ही वे बाराहेड पेंड़ा गुरुद्वारा के पास पहुंचे तो ग्वालियर तरफ से मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.टी.8628 के चालक अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी जिससे मुकेश अ0सा01 की

10

पसली में दाहिने तरफ चोट आई तथा पीछे बैठे जीमल खां अ०सा०२ के दाहिने बखा में, हाथ में तथा दाहिने पैर में चोट आई तथा इरशाद अ०सा०३ के दाहिने पैर में चोट आई। तत्पश्चात फरियादी मुकेश अ०सा०१ ने थाना गोहद चौराहे में आरोपी के विरुद्ध एफ.आई.आर. प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर से अप०क० 123/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 1. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.04.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग बाराहेड गुरुद्वारा के पास हाईवे रोड एन.एच.—92 लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.टी.8628 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी की मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—06—एम.एच.2620 में टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ का सकारण निष्कर्ष//

- 5. फरियादी मुकेश अ०सा०१ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व दोपहर के समय वह परीक्षा के लिए बारहेड गुरूद्वारे से ग्वालियर जा रहा था तब उसकी मोटरसाइकिल पर जमील अ०सा०२ और इरशाद अ०सा०३ बैठे थे। तब उसकी मोटरसाइकिल एक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गयी जिससे उसे चोटें आई थीं। मोटरसाइकिल पर बैठे जमील अ०सा०२ और इरशाद अ०सा०३ को भी चोटें आई थीं। तत्पश्चात उसने एफ.आई.आर. प्र०पी–1 कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम०पी०–07–एम.टी.8628 को आरोपी ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी–2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 6. जमील अ०सा०२ और इरशाद अ०सा०३ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व दोपहर में वह बारहेड गुरूद्वारे से ग्वालियर जा रहे थे उनकी मोटरसाइकिल मुकेश चला रहा था जिस पर वह दोनों बैठे थे उनकी मोअरसाइकिल एक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गयी जिससे उन्हें और मुकेश अ०सा०१ को चोटें आईं थीं। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षिविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षीगण ने इंकार किया है कि आरोपी ने मोटरसाइकिल क्मांक एम०पी०—07—एम. टी. 8628 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—3 व 4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 7. अभियोजन मामले मे उपरोक्त तीनों आहत साक्षीगण के अतिरिक्त ६

ाटना का अन्य प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं हैं। उक्त तीनों ही प्रत्यक्ष साक्षीगण द्व

ारा आरोपी बजरंग द्वारा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-07-एम.टी.8628 को उपेक्षापूर्वक परिचालित किए जाने से इंकार किया है। अतः अभियोजन द्वारा परीक्षितं कराये गये उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.14 को 12:30 बजे या उसके लगभग बाराहेड गुरूद्वारा के पास हाईवे रोड एन.एच.—92 लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.टी.8628 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी मुकेश अ०सा०1 की मोटरसाइकिल एम0पी0-06-एम.एच.२६२० में टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

परिणामतः आरोपी को धारा २७१ भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-07-एम.टी.8628 आवेदक बजरंग प्रतापसिंह की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ALIMANA PAROLE BUSTINA